न्यायालय विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश,झांसी।

उपस्थित- जयतेन्द्र कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)

CNR NO- UPJS01-000917-2019

विशेष परीक्षण संख्या- १४९/२०१९

राज्य ----------**अभियोजक**

बनाम

राकेश कुमार सोनी पुत्र श्री कल्लू, निवासी-मु० अलियाई, थाना-मऊरानीपुर, जिला झांसी।

----------**अभियुक्त**

धारा- १३५ भारतीय विद्युत अधिनियम,
थाना- मऊरानीपुर, जिला झांसी।
मु०अ०सं०-२६४/२०१८

निर्णय

१- अभियुक्त राकेश कुमार सोनी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा १३५ भारतीय विद्युत अधिनियम थाना-मऊरानीपुर जिला-झांसी के मामले में पुलिस थाना-मऊरानीपुर द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियुक्त का विचारण आरोप पत्र के आधार पर किया गया।

२- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा ने थाने पर इस आशय की तहरीर देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई कि दिनांक-१३.०७.२०१८ को समय १३.०० बजे से १६.०० बजे तक मैं श्री मोहित कुमार अवर अभियन्ता थाना क्षेत्र मऊरानीपुर, जनपद झांसी में स्थित विद्युत संयोजनो की चेकिंग के दौरान उपभोक्ता द्वारा मीटर सर्विस केबिल के पहले कटिया डालकर अपने घर में विद्युत का अवैध रूप से उपयोग करते हुए पाये गये।

३- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

४- अभियुक्त की ओर से अपराध के तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया है। अभियुक्त का बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा ३१३ द०प्र०सं० प्रार्थना पत्र की पुश्त पर अंकित किया गया। अभियुक्त ने घटना को सही होना कहा है। मुकदमा सही चलना कहा एवं स्वेच्छया अपराध को स्वीकारा है। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है। भविष्य में गलती नही करूंगा। अतः अभियुक्त के द्वारा अपराध के तथ्यों को स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा १३५ भारतीय विद्युत अधिनियम का आरोप युक्ति युक्त सन्देह से परे प्रमाणित होता है।

५- उपरोक्त समग्र विवेचन, पत्रावली के अवलोकन एवं साक्ष्य के परिशीलन के उपरान्त यही निष्कर्षित होता है कि अभियोजन, अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-१३५ भारतीय विद्युत अधिनियम का आरोप साबित करने में सफल रहा है।अभियुक्त के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभूपत्र निरस्त किये जाते हैं। जमानतदारों को उनके व्यक्तिगत दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को धारा १३५ भारतीय विद्युत अधिनियम के आरोपित अपराध में न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हो।

दिनांक-०८.०२.२०२० (जयतेन्द्र कुमार)
विशेष न्यायधीश (विद्युत अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी।

पत्रावली दण्ड की सुनवाई हेतु पुनः पेश हुई।

अभियुक्त गरीब व्यक्ति है, भविष्य में गलती नहीं करेगा। अतः कम से कम दण्ड देकर मुकदमा समाप्त करने की कृपा करें।

अभियोजन का तर्क है कि अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

मैंने प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार किया। अभियोजन ने अभियुक्त के किसी पूर्व दोषसिद्ध का कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया है। फलस्वरूप मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए चूंकि अभियुक्त ने स्वच्छेया अपराध के तथ्यों को स्वीकारा है। न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग किया है। न्यायालय का समय बचाया है। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है। अतः सजा के बिन्दु पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए मु० ६,०००/- रूपये (छः हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को १५ दिन का साधारण कारावास से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होगी।

<u>दण्डादेश</u>

अभियुक्त राकेश कुमार सोनी धारा-१३५ भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित अपराध हेतु मु० ६,०००/- रूपये (छः हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को १५ दिन का साधारण कारावास भुगतना पडेगा।

अभियुक्त पर यदि कोई विद्युत विभाग की धनराशि अथवा विद्युत बिल आदि बकाया हो, तो विद्युत विभाग उसे अभियुक्त उपरोक्त से वसूल करने के लिये स्वतन्त्र होगा।

माल मुकदमा यदि कोई हो, तो वह राज्य के पक्ष में जब्त किया जाता है। माल मुकदमा वाद मियाद अपील तथा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

शेष अभियुक्तगण बद्रीप्रसाद, कृष्ण कपूर एवं चेतन्य सिंधी जरिए सम्मन तलब हों।

(जयतेन्द्र कुमार)
दिनांक-०८.०२.२०२० विशेष न्यायधीश(विद्युत अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षर करके व दिनांक डालकर खुले न्यायालय लोक अदालत में सुनाया गया।

(जयतेन्द्र कुमार)
दिनांक-०८.०२.२०२० विशेष न्यायधीश(विद्युत अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी।

मेघना
आशुलिपिक